देवेन्द्र बघेल बनाम राममरोस

दीवानी वाद सं0 – 33/2017

14.11.2025	वकुलाए फरिकेन उपस्थित। प्रार्थी /प्रतिवादी कम्र 1 व 2 ने दावे मे संशोघन की अनुमती दिये जाने का प्राथना पत्र पेश किया है जो निम्न प्रकार हैः यह कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट स० 51/2017 प्रस्तुत की थी। जिस पर पुलिस थाना नयापुरा कोटा द्वारा बाद अनुसंधान ममला झुठा मानते हुए प्रकरण मे अदमक्कू झूठ मे एफआर किता की है। जो प्रस्तुत प्रकरण मे पक्षकारान के मध्य रियल कन्ट्रावर्सी को तय करने के लिए महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेज है इसके अलावा उक्त भूमी के संबंध मे निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 16.06.2016 व दिनांक 13.05.2016 भी काफी महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेज है। जिन्हे रिकोर्ड पर लेने के लिए माननीय न्यायालय को पक्षकारान के मध्य रियल कन्ट्रावर्सी तय करने के काफी सहायता मिलेगी और प्रकरण का समुचित न्याय निस्तारण हो सकेगा। अतः श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत प्राथना पत्र कर श्रीमान से निवेदन है कि उक्त वर्णित दस्तावेजो को न्यायहित मे रिकोर्ड पर लिए जाने की कृपा करे। आप्रार्थी/वादी देवेन्द्र बघेल ने जवाब मे प्रार्थना पत्र पेश किया जो निम्न प्रकार है- यह कि क्रम 2 प्रार्थना पत्र स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.05.2016 एवं दिनांक 16.06.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपीया प्रस्तुत की गइ है एवं पृथक सूचना रिपोर्ट इल्जाम नम्बर 50 व 51 थाना नयापुरा कोटा की प्रमाणित	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम-1, कोटा (राज.)

प्रतिलिपीया प्रस्तुत की गइ है। उपरोक्त चारो दस्तावेजात पत्रावली में वादी द्वारा पूर्व में ही प्रस्तुत किये जा चुके है। उक्त दस्तावेज क्रमशः प्रदर्श 19 व 20 तथा प्रदर्श 4 व 5 के रूप मे प्रदर्शित किये जा चूके है। उक्त दस्तावेज के संबंध मे वकील प्रतिवादी द्वारा वादी से जिरह भी की गइ है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियो मे उपरोक्त दस्तावेज को पुनः प्रस्तुत किये जाने का कोइ ओचित्य नही है। प्रतिवादी द्वारा यह दस्तावेज वाद की अग्रिम कार्यावही को विलम्बित करने के उद्देश्य से असद्भाविक रूप से प्रस्तुत किया गया है, उक्त कारणो से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। प्रार्थी/प्रतिवादीगण का कहना है कि जो दस्तावेज पेश किए गए हैं वह दस्तावेज उसी सम्पत्ति से संबंधित है जिस सम्पत्ति को लेकर दावा पेश किया गया है तथा वादी उक्त सम्पत्ति से संबंधित विक्रय पत्र को निरस्त कराना चाहता हैं। प्रकरण में अप्रार्थी /वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा जो दस्तावेज पेश किए गए हैं वह दस्तावेज प्रकरण में देरी से पेश किए गए हैं तथा वाद से सुसंगत नहीं है। जो दस्तावेज प्रार्थ/प्रतिवादीगण उक्त दस्तावेजो को प्रकरण मे अप्रार्थी/वादी ने पेश किए हैं जिनमे दिनांक 13.05.2016 का विक्रय पत्र प्रदर्श पी 04 है दिनांक 16.06.2016 का विक्रय पत्र प्रदर्श पी05 है, नयापुरा थाने की एफआइआर न0 50/17 प्रदर्श पी 19 है तथा एफआइआर न0 51/17 प्रदर्श पी 20 के रूप में अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रदर्शित करवाए जा चुके हैं अन्य दस्तावेज वाद से सुसंगत नहीं है। इस कारण से प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उक्त दस्तावेज वाद में विवादित सम्पति का जो दावा किया है, उससे

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम-1, कोटा (राज.)

संबंधित होने के कारण उक्त दस्तावेजों को पर रिकार्ड पर लिया जाता है तथा प्रदर्शित करवाने की अनुमति दी जाती है। साथ ही साथ दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाने के संबंध में निम्न प्रकार प्रावधान सामान्य नियम (सिविल एवं दाण्डिक), 2018 के आदेश 20 नियम 33 में किए गए है, जो निम्न प्रकार है–

Marking of documents. - (1) Documents produced by a Plaintiff and duly admitted in evidence shall be marked with a number and documents produced by a Defendant shall be marked with a number and the letter A, or, Where there are more than one set of Defendants, by the letter A for the first set of Defendants, by the letter B for the second and so on. Where a document is produced by Order of the Court and is not produced by any party the serial number shall be prefaced by the words "Court Exhibi" or an abbreviation of the same.

(2) Where a document is produced by a Witness at the instance of party, the number of the witnesses shall be endorsed thereon e.g. Ex. 1/P.W.1 in it is produced by the Plaintiff's first Witness and Ex. A.1/D.W.1 if it is produced by the Defendant's first Witness.

(3) Every exhibit mark shall be initialled and dated by the presiding Officer.

सामान्य नियम (सिविल एवं दाण्डिक), 2018 के आदेश 20 नियम 33 में दस्तावेजों को प्रदर्शित कराने के संबंध में प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान को वादी अपने वाद के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किए वह अपने समर्थन में प्रदर्शित करवा सकता है। उन्हीं दस्तावेजों की फोटोप्रतियां/असल दस्तावेज यदि प्रतिवादी अपने समर्थन में पेश करता है तो वह पुनः अपने समर्थन में प्रदर्शित करा सकता है। प्रकरण में प्रार्थी/वादी ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उन दस्तावेजों को जिनमे दिनांक 13.05.2016 का विकय पत्र प्रदर्श पी 04 है दिनांक 16.06.2016 का विकय पत्र प्रदर्श पी05 है, नयापुरा थाने की एफआइआर न0 50/17 प्रदर्श पी 19 है तथा एफआइआर न0 51/17 प्रदर्श पी 20 के

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम–1, कोटा (राज.)

उक्त दस्तावेज क्रमशः प्रदर्श–19 व 20 तथा

रूप में अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रदर्शित करवाए जा चुके हैं। लेकिन उक्त दस्तावेज वादी के समर्थन में पढ़े जाएंगे। इस कारण उक्त दस्तावेज वादी ने प्रदर्शित कराए हैं उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन में पेश की है इस कारण से उक्त दस्तावेजों को प्रतिवादीगण को अपने समर्थन में प्रदर्शित करवाने की अनुमति दी जाती है, निर्णय के समय उक्त दस्तावेजों को एक साथ दर्शाया जाएगा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 20.11.2025 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम-11, कोटा (राज.)